

घोशणा पत्र

(अशक्तता पेंशन)

मैं _____ सुपुत्र /पत्नी श्री _____
निवासी _____ बोर्ड पंजीकरण संख्या _____

निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं _____ प्रतिशत स्थायी रूप से अशक्त हूँ मेरे अशक्तता प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या _____ तिथि _____ एवं _____ द्वारा जारी हुआ है तथा _____ दिनांक तक मान्य है।
2. मैं अपने अशक्तता प्रमाण पत्र की वैधता तिथि समाप्त होने के बाद अपने प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाकर बोर्ड में अपडेट करवा दूंगा/दूंगी।
3. मैं किसी भी सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम संस्था से अशक्तता पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ तथा न ही इसके लिए कोई आवेदन दिया है और न ही दूंगा/दूंगी।
4. मैं आज भी भवन निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ/हुई हूँ तथा बोर्ड का सक्रिय सदस्य हूँ तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना/दस्तावेज सही व अपडेटिड है।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाये जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई अशक्तता पेंशन की राशि को मैं लौटाने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी तथा मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने तथा मेरा पंजीकरण निरस्त करने का भी बोर्ड को अधिकार होगा।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि:

मो0 नं0: _____